

452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और श्रृंखला
452ञ	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर के रेडिएटर असेंबली और उसके कलपुर्जे (ii) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और उसके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	ट्रैक्टर के साइलेंसर असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के क्लच असेंबली और उसके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील्स और उसके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और उसके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के फेंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और उनके कलपुर्जे ”

[फा.सं. 354/137/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 807(अ), तारीख 30 जून, 2017 उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2017- केन्द्रीय कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th August, 2017

No. 19/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1032(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E) dated the 28th June, 2017, namely:—

2. In the said notification, in Schedule III— 9%, after serial number 452 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“452A	4011 70 00	Tyre for tractors
452B	4013 90 49	Tube for tractor tyres
452C	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
452D	8413 81 90	Hydraulic Pumps for Tractors
452E	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
452F	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
452G	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
452 H	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
452 I	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors

452J	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
452K	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
452L	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452M	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractor
452N	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
452O	8708 99 00	Fender, Hood, wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors”.

[F. No. 354/137/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017- Central Tax (Rate) dated 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification No 18/2017- Central Tax (Rate) dated the 30th June, 2017 published vide number G.S.R 807 (E) dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2017

सं. 19/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1033(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017 – एकीकृत कर (दर) 28 जून, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III - 18% में क्रम संख्या 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(1)”	(2)	(3)
“452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर के टायर के लिए ट्यूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन जिनकी सिलिंडर क्षमता 250 सीसी से अधिक हो
452घ	8413 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पम्पस
452ङ.	8708 10 10	ट्रैक्टर के बम्पर और उसके कलपुर्जे
452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के ब्रेक असेंबली और उसके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के गियर बाक्स और उसके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के ट्रांसएक्सल और उसके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के रोड व्हील्स और उसके कलपुर्जे और श्रृंखला